फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री दिनेश** विपक्षी :– **श्री शांतिलाल**

किस्म मुकदमा :– 53,188 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– 299/25

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/690

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.01.2026 पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1 द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया साथ ही अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वादी संख्या 2 के हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर किये गये है परन्तु किसी आवश्यक कार्य के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। इसलिए वादी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद विड्रो फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। वादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1 अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:56:14 IST
Reason: SelfAttested